

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी नरेश..... विपक्षी जोधसिंह.....

किस्म मुकदमा..... प्रार्थना पत्र..... पत्रावली संख्या..... 128..... सन..... 2019.....

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 14.11.2019</p> <p>प्रकरण प्रस्तुत हुआ। वादी/प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण लम्बे समय से विपक्षी संख्या-1 की मृत्यु होने से वारिसान की नाम कायमी हेतु नियत है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 4.01.16 को ही विपक्षी की मृत्यु हो जाने बाबत न्यायालय एवं वादी/प्रार्थी को अवगत करा दिया गया था किन्तु आज तक प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ना0 कायमी नहीं करायी गयी। गत सुनवायी दिनांक को प्रार्थी को ना0 कायमी हेतु अंतिम अवसर दिया गया था उसके बावजूद नाम कायमी नहीं करायी गयी, न हि प्रार्थी की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित हुआ। जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं होकर प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। न्यायालय समय में रूक-रूक कर तीन बार आवाज भी दिलाई गई किन्तु प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः पैरवी के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा0 का0 अधि0 का इसी स्टेज पर अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p>डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) गिर्वा - उदयपुर</p>	

